लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स अमित इंटरप्राइजेस (प्रो. श्री अमित कुमार यादव, झबड़ी एवं बलौदा सेण्ड माईन), ग्राम – झबड़ी, तहसील – कसडोल एवं ग्राम– बलौदा, तहसील – टुण्ड्रा, जिला – बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 1392 एवं खसरा क्रमांक – 1 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 5.2 हेक्टेयर एवं 9.80 हेक्टेयर (कुल रकबा 15 हेक्टेयर) में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता 2,16,000 घनमीटर/वर्ष के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स अमित इंटरप्राइजेस (प्रो. श्री अमित कुमार यादव, झबड़ी एवं बलौदा सेण्ड माईन), ग्राम– झबड़ी, तहसील – कसडोल एवं ग्राम– बलौदा, तहसील – टुण्ड्रा, जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 1392 एवं खसरा क्रमांक – 1 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 5.2 हेक्टेयर एवं 9.80 हेक्टेयर (कुल रकबा 15 हेक्टेयर) में प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता 2,16,000 घनमीटर/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई कराने हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्रों देशबंधु, रायपुर एवं पंजाब केसरी, नई दिल्ली, में दिनांक 27/10/2024 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 27.11.2024 समय प्रातः 10:00 बजे लोक सुनवाई का आयोजन ग्राम– झबड़ी स्थित हाई स्कूल मैदान, तहसील –कसडोल, जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामीली भी ली गई।

परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 27.11.2024 को अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा गणमान्य जन प्रतिनिधि एवं लगभग 130 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई की प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे से आरंभ हुई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये है, उनकी सूची संलग्नक–01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 1 से 07 तक)।

3. क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई आरंभ करने का निवेदन किया गया।

4. अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की गई तथा परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

5. परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार यादव ने कहा कि आज दिनांक 27.11.2024 को हाई स्कूल मैदान परिसर, ग्राम – झबड़ी, तहसील – कसडोल, जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार यादव द्वारा आवेदित झबड़ी एवं बलौदा सेण्ड माईन खनन परियोजना (प्रो. श्री अमित कुमार यादव), प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति के तहत् लोक सुनवाई कार्यक्रम में माननीय अपर कलेक्टर महोदय, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, जिला रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित ग्रामवासी का मैं स्वागत करता हूँ और माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा महोदय की अनुमति से मेरे द्वारा आवेदित झबड़ी एवं बलौदा सेण्ड माईन रेत खदान के लोक सुनवाई में परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु नेबेट प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय, नेबेट प्रमाणित मे. अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार की ओर से कहा गया कि माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, समस्त गणमान्य आगन्तुक एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी, परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार यादव की झबड़ी एवं बलौदा सेण्ड माईन खनन परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नदी रेत खदान परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आज दिनांक 27/11/2024 को आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। झबड़ी एवं बलौदा रेत खदान, रकबा – 15 हेक्टेयर और उत्पादन क्षमता –

2,16,000 घनमीटर/वर्ष है। कुल क्लस्टर क्षेत्र – 15 हेक्टेयर है। लोक सुनवाई का आयोजन हाई स्कूल मैदान, ग्राम – झबड़ी, तहसील – कसडोल, जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 27/11/2024 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर और जिला प्रशासन जिला– बलौदाबाजार – भाटापारा द्वारा संयुक्त रुप से किया गया है। जन सुनवाई की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है 14 सितंबर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन और इसके अधीन किए गए संशोधनों के अनुसार क्षेत्र बी–1 श्रेणी में आता है, जिसके अंतर्गत आज आयोजित लोक सुनवाई का कार्यक्रम पर्यावरण स्वीकृति की प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। लोक सुनवाई की जानकारी को 2 समाचार पत्रों क्रमशः देशबंधु, रायपुर एवं पंजाब केसरी, दिल्ली में दिनांक 27/10/2024 को प्रकाशित किया गया है। लोक सुनवाई संपन्न होने की नियत तिथि एवं स्थान की सूचना को सार्वजनिक किया गया। आदेशानुसार कोटवार ग्राम पंचायत– झबड़ी द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों पर लोक सुनवाई का दिन समय और स्थान की जन सामान्य को सूचना दी गयी। लोक सुनवाई हेतु जन सूचना के सम्बन्ध में, कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार– भाटापारा, द्वारा दिनांक 18/10/2024 को पत्र जारी किया गया था। खनिज विभाग, जिला बलौदाबाजार– भाटापारा द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के नियम 6 के अनुसार रेत खदान की नीलामी के उपरांत आवेदक को अधिमानी बोलीदार घोषित करने के साथ, आवश्यक शासकीय अनुमति एवं प्रपत्र के साथ 5 वर्षों के रेत खनन के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, सेण्ड माईन खदान का उत्खनिपट्टा के लिए नियमानुसार समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त की गयी है एवं की जा रही है। आवेदित क्षेत्र से संवेदनशील संरचनाओं की दूरी मानकों से अधिक है। अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार बिजराडीह रेत खदान में कुल रिकव्हरेबल रिजर्वस 2,16,000 घनमीटर/वर्ष है। बिजराडीह सेण्ड माईन में वर्षवार उत्पादन के क्रम में, 5 वर्षों तक, प्रति वर्ष 2,16,000 घनमीटर/वर्ष उत्पादन प्रस्तावित है। झबड़ी एवं बलौदा रेत खदान में कुल जल की आवश्यकता 09.00 किलो लीटर प्रतिदिन होगी। खदान में कुल जनशक्ति की आवश्यकता 24 व्यक्ति होगी। खदान में कुल मशीनों एवं उपकरणों की संख्या 7 होंगी। जलवायु स्थिति – अध्ययन काल – शीत ऋतु 2023 –24 (19 अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी 2024) तक अधिकतम तापमान – 28.48°C, न्यूनतम तापमान – 7.83°C, हवा की गति– 2.27 मीटर/सेकंड, प्रभावी पवन दिशा– उत्तर – पूर्व, औसत वर्षा – 0–1.92 मिलिमीटर रही। वायु, ध्वनि, जल एवं मृदा के विश्लेषण के परिणाम निर्धारित मानकों के भीतर पाए गये। वायु, जल, मृदा, स्वास्थ्य, वनस्पति एवं जीव प्रबंधन के लिए लोडिंग (भरना) – लोडिंग और हॉल रोड पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। परिवहन के लिए ट्रकों को

तारपोलिन द्वारा ढका जाएगा। ओवर लोडिंग को रोका जायेगा। सभी परिवहन साधनों के लिए वैध पी.यू.सी. होना सुनिश्चित किया जाएगा। पौधारोपण के लिए एप्रोच सड़क, कच्ची सड़कों में एवं नदी तट पर पौधे लगाकर हरित पट्टिका का विकास किया जाऐगा। वायु गुणवत्ता के लिए वाहनों की आवाजाही और लोडिंग आदि के कारण धूल के उत्पादन और प्रभाव और प्रदूषण को कम करने के पानी का छिडकाव किया जायेगा। डीजल इंजनों का नियमित रखरखाव किया जायेगा। सतह जल प्रबंधन में सतही जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। भूमिगत जल प्रबंधन में आवेदित नदी तल क्षेत्र पर दोनों खदानों में रेत का जमाव औसत 4.43 मीटर या उससे अधिक की गहराई तक है। इस क्षेत्र में भूजल स्तर नदी के तल की सतह के स्तर से 4.25 मीटर गहराई से नीचे है। खनन 2.40 मीटर जल स्तर की गहराई तक सीमित रहेगा। रेत में कोई विषैला तत्व नहीं होता है, इस प्रकार भूजल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपशिष्ट जल प्रबंधन में खनन कार्य के दौरान कोई अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होगा। अस्थायी साइट कार्यालय और एक विश्राम आश्रय का निर्माण किया जाएगा। खदान कार्यालय और विश्राम आश्रय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य, सुरक्षा हेतु ऑन साइट प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, है और आपात स्थिति में कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। ध्वनि गुणवता प्रबंधन के लिए ध्वनि स्तर को कम करने के लिए वाहनों एवं मशीनों का उचित रख–रखाव, आइलिंग एवं ग्रीसिंग की जायेगी। सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगें। ध्वनि के प्रसार को कम करने के लिए कच्ची सड़कों एवं नदी तट एवं अप्रोच सड़क पर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। आवधिक ध्वनि परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। जोखिम वाले श्रमिकों द्वारा कान के मफ्स का उपयोग किया जाएगा। खनन उपकरण पर काम करते समय COVID -19 को देखते हुए कान के मफ, मास्क और सभी आवश्यक पीपीई प्रदान किए जाएंगे। खदान के समीप नदी के तट पर, स्थित खसरा नंबर 576/1 में कुल 3,000 स्थानीय प्रजाति के पौधें जैसे अर्जुन, जामुन, करंज, शीशम, कदम्ब आदि पौधे लगाए जायेंगे एवं सुरक्षा के लिए फेंसिंग की जावेगी। समाजिक–आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव – परियोजना से समीपस्थ कृषि भूमि को कोई नुकसान नही है। परिणामतः परियोजना गतिविधि से कोई भी अन्य भूमि या मानव बस्ती प्रभावित नही होगी। परियोजना के शुरु होने के साथ लोगों द्वारा अनुमानित किए जाने वाले प्रभाव की तुलना में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव होगा। आसपास के निवासियों को बेहतर रोजगार और अवसर के साथ रखा

जावेगा, जिससे भूमिहीन और श्रमिक वर्ग के लिए अधिक आजीविका का विकल्प पैदा होगा। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के साथ परिवाहन और संचार सुविधा को क्षेत्र के आसपास विकसित किया जायेगा। जिसका स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। खनन कार्य से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा, जिससे निवासरत् लोगों का जीवनस्तर सामान्य से बेहतर होगा। आसपास के गांवों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा की सुविधा जैसे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाई जाएगी जिसे ग्राम समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। आपदा प्रबंधन योजना – एक योग्य खान प्रबंधक के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन में पूरा खनन कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम – 2019 एवं बाद में हुए संशोधनों, उसमे निहित निर्देशों के अनुसार खनन कार्य किया जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा माइन्स नियम, 1956 के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा जांच और श्रमिकों की आवधिक चिकित्सा जांच आयोजित की जाएगी। सफाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाएँ एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अपनाये जाएंगे। श्रमिकों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष और सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खदान के लिए उचित अग्निशमन सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। परियोजना से लाभ – निर्माण के लिए उपयोगी आर्थिक संसाधन उत्पन्न करना। रोजगार पैदा करना। अध्ययन क्षेत्र के लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार। भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार। सामाजिक अवसंरचना में सुधार। रोजगार क्षमता में वृद्धि। खनन के दौरान और बाद में हरित आवरण में वृद्धि। अवैध खनन की रोकथाम। राजकोष में योगदान। खनन पट्टा क्षेत्र के आसपास के निवासी मुख्य रूप से कृषि प्रधान हैं। रोजगार गतिविधियों के अवसर सृजित होंगे और खनन स्थायी आजीविका के स्रोत के रूप में काम करेगा। खदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार सृजित करेगी। अतिरिक्त, परिवहन जैसे कुछ कार्यों को अनुबंध पर आउटसोर्स किया जाएगा। इसलिए, खनन का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहने की उम्मीद है। परियोजना की की कुल पूंजी लागत की राशि – 82.39 लाख रुपये है। खदान के लिए सीईआर की कुल राशि. 1.68 लाख रुपये होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत खदान के नदी तट क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड, रैंप में जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़क के रखरखाव, खान श्रमिकों के लिए सुविधाएं एवं पर्यावरण की निगरानी एवं ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर इत्यादि के लिए बजट – कुल पूंजीगत लागत – 7,30,000, कुल आवर्ती लागत खदान में – 7,07,000, प्रथम वर्ष में ईएमपी की कुल लागत खदान में – 14,37,000 होगी। संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन

योजना के अंतर्गत खदान के समीप नदी के किनारे वृक्षारोपण एवं एप्रोच रोड मे जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा पर्यावरण की निगरानी के साथ–साथ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि के लिए भी संयुक्त रूप से पृथक बजट बनाया जायेगा। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि खनन परियोजना के क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एवं स्थानीय निवासियों को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बुनियादी ढॉचें के विकास का अवसर प्राप्त होगा। खनन परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रुप से रोजगार का सृजन होने से क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध संशाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह खनन परियोजना से राज्य के राजकोष में राजस्व में भागीदारी के साथ–साथ राज्य के वित्तीय विकास में अपना अंशदान एवं योगदान भी देगा। जो राज्य शासन के वित्तीय विकास मे क्षेत्र निवासियों की भागीदारी साबित करेगा। परियोजना से संबंधित अन्य जानकारियां परियोजना से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट, कार्यकारी सारांश इत्यादि को, नियमानुसार पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुतीकरण की प्रति, लोकसुनवाई के अध्यक्ष, अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार – भाटापारा, क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर तथा सहयोगी दल को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा कहा गया कि अभी आपके सामने परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में विचार व्यक्त करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूॅ। आप कृपया यहां पर आयें, माईक के पास एक–एक करके और इस परियोजना के संबंध में अपना पक्ष या विपक्ष जो भी आप कहना चाहते हैं, आकर अपना विचार रखें। आप अपना विचार व्यक्त करने से पहले अपना नाम और गांव का नाम बतायें। इसके बाद आप अपना विचार रखें। जिनको लिखित में देना है, वो लिखित में भी दे सकते हैं। मंच के पास काऊंटर बना है, वहां आप अपना लिखित में अभ्यावेदन दे सकते हैं और जिनको बोलना है वो कृपया माईक पर आयें और अपना विचार व्यक्त करें। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की जा रही है।

1. श्री रामायण प्रसाद, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि खनिज विभाग के बारे में जो भी बातें है, उसके सम्बन्ध में अपना विचार रखना चाहता हूँ। इस माईन का हम गाँव वाले विरोध करते आ रहे हैं। इस जगह में अगर रेत उत्खन्न होगा तो हम गरीब ग्रामवासी निवास करते हैं। हमोर 10–20 डिसमील के छोटे–छोटे बाड़ी हैं जब नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता हैं, तो हमारे सब्जी और बाड़ी को नुकसान होता है। हम यह सोच रहे थे कि हमारे गाँव के विकास के लिए उस जगह में तटबंध

बनवाने के लिए अधिकारियों से निवेदन करने जाने वाले थे। जिससे हमारे गाँव के जो भी कार्य है वो यथावत चलते रहे ऐसा हमारा विचार है। हमारे गाँव के रेत खदान से अगर रेत उत्खन्न होगा तो हमारे गाँव के किनारे नदी है वो बंध जाएगा। हमारे गाँव के लोग जिसके माध्यम से जीवन यापन करते हैं उसमें बहुत परेशानी आएगी। हमारे गाँव में लोक–आयुक्त के जितने भी अधिकारी व कर्मचारी आए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि नदी के कटाव को रोका जाये एवं इस रेत खदान से रेत उत्खन्न को रोका जाएँ।

2. श्री प्रसाद वर्मा, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि जो भी बात रामायण जी ने कही वह सत्य बात है, और मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ।

3. श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि यह जो रेत खदान का टेंडर हो रहा है। उसका मैं विरोध करता हूँ क्योंकि जो हमारे छोटे–छोटे बाड़ी हैं, वो नदी के कटाव के कारण उन्हे नुकसान हो रहा हैं और अगर ये रेत खदान चालू होता है तो उससे हमारे गाँव को और अधिक हानि होगा।

4. श्री सदानन्द साहू, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि रेत खदान से आस–पास के वासियो को रोजगार मिलेगा इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

5. श्री जितेन्द्र कुमार कौशिक, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि हमारे जो खेत हैं और बाड़ी हैं वो डुबान क्षेत्र में हैं, इसलिए मैं इस रेत खदान का विरोध करता हूँ।

6. श्री सुंदरलाल, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि हमारे छोटे–छोटे खेती, बाड़ी नजदीक है। इस रेत खदान को खुलने नहीं देना चाहता हूँ।

7. श्री गौतम प्रसाद, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि जो रेत खनन हो रहा है हमारे गाँव में, इससे गाँव का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे गाँव में जब भी बाढ़ आता है तो हमारे फसलों, छोटे–छोटे बाड़ी बनाते हैं, उसको भी बहुत नुकसान होता है। जो मैं अधिकारी यहाँ आए हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि यह रेत खनन चालू नहीं होना चाहिए।

8. श्री छोटूलाल बंजारे ग्राम–झबड़ी ने कहा कि जो आज शासन के अधिकारी आए हैं, उनसे यह कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव में रेत खनन होने से लगभग 100 एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। पूर्व में 100 साल पहले 200 से 250 एकड़ भूमि बंजर हो चुकी है। मैं निवेदन करता हूँ अधिकारियों और कर्मचारियों से कि इस रेत खदान पर रोक लगाया जाए।

9. श्री जय वर्मा, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि यहाँ जितने भी पंच और सरपंच हैं, उन्हीं की गलती है। ये लोग जो रेत की बिक्री कर रहे हैं ये सब यहीं लोग कर रहे हैं। जो पैसा और गुंडागर्दी है, सब यहीं लोग करते हैं। ये जो कसडोल पुलिस थाना के लोग हैं वो खाने–पीने वाले हैं। उनके पास जाकर शिकायत करने से वही लोग घर में आकर धमकी दे रहे हैं। यहाँ गाँव का जो सरपंच हैं और रामनाथ पटेल नाम का आदमी हैं वो लोग थाना–कचहरी के लोग का देख–रेख करते हैं। ये लोग जो गाँव का जो लकड़ी हैं इसको बेच के खा रहे हैं और नदी के उस पार जो आदिवासियों का गाँव हैं वहाँ से शराब की सप्लाई की जाती है। यहीं लोग मिलकर यह सब कार्य करवा रहे हैं। गाँव के प्रमुख यहीं लोग हैं। इसका छानबीन करो तब लोग सुधरेंगे नहीं तो नहीं सुधरेंगे। रेत को ये लोग एक बार पूर्व में बेचे हैं और ये इन्हीं से पूछो। अभी जो भाषण देने आया था छोटूलाल बंजारे उसी से पूछो तब पता चलेगा सर।

10. श्री छतराम कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि अभी जो आदमी आया था ये आदमी ने जो कहा और मनुराम के जो मकान बने हैं, इन्दिरा आवास के तहत, उसमें इसने खुद मनुराम के घर का ताला तोड़कर कब्जा किया हैं। रेत के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जो रेत खनन होगा, उससे हमारी जो जमीन हैं उसका कटाव हो सकता है। अगर उस कटाव के रोकथाम का सरकार कुछ व्यवस्था करेगी तभी हमारे तरफ से रेत खदान का समर्थन मिलेगा।

11. श्री पिरत राम केंवट, ग्राम – झबड़ी ने कहा कि रेत खदान को रोकना चाहिए।

12. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक, छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज के पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे आदरणीय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, हमारे पर्यावरण संरक्षण विभाग के सभी अधिकारी, श्रम व खनिज विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, हमारे ग्राम झबड़ी के सरपंच एवं सभी पंच, हमारे साथी भाई और हमारे सभी मजदूर यूनियन के साथी आस–पास से आये हुए हमारे जन प्रतिनिधि लोग, हमारे मीडिया के सभी साथी लोग, परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार यादव, आज हम सब मेसर्स अमित इंटरप्राइजेस के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं अमित इंटरप्राइजेस झबड़ी सेण्ड माईन परियोजना का स्वागत करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए करता हूँ कि मेसर्स झबड़ी सेण्ड माईन के खुलने से हमारे स्थानीय बेरोजगार भाई लोग को काम उपलब्ध हो पाएगा जिससे वो अपना और अपने

परिवार का भरण–पोषण अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही गौण खनिज रायल्टी से मिलना वाला सी. एस. आर. फंड से हमारे बिजराडीह और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही गौण खनिज रायल्टी के डी.एम.एफ. फंड से राज्य को विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पावन महानदी की गोद में बसा सेण्ड माईन परिपूर्ण, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। यहाँ के पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए आदरणीय परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी बात सुझाया गया हैं कि यहाँ 3000 पेड़–पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही आज मेरे साथ आए हुए 14 लोगों के साथ आज की पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ। अभी हमारे ग्रामीण भाइयों ने कहा कि बाढ़ से यहाँ बहुत समस्या होती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बारिश में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो बाढ़ आना स्वभाविक है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन यहाँ आस–पास में जो फसल लगे हैं उसके सुरक्षा की भी व्यवस्था हमारे प्रस्तावक भाई द्वारा किया जाए। साथ ही हमारे DMF और CSR फंड से लगभग 1,30,00,000 रूपये की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे झबडी गाँव और आस–पास के गाँव का विकास होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा गौण खनिज रेत साधारण अधिनियम 2019 लाए हैं, जिससे हमारे गाँव वालों को कम कीमत में रेत उपलब्ध हो सके, नहीं तो पूरे प्रदेश में रेत की काला बाजारी हो जायेगी। गाँव–गाँव में हमारे प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत गरीब ग्रामवासियों का घर बन रहा है। तो जब तक सेण्ड माईन की नीलामी नहीं होगी तब तक सही कीमत में रेत नहीं मिल पाएगा। जैसे गिट्टी वाले लोग गिट्टी खदान का विरोध करेंगे, बाक्साइट का विरोध करेंगे, और रेत खदान का विरोध करेंगे तो जब तक सब तरफ विरोध होगा और आम आदमी को खनिज नहीं मिलेगा तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा और कालाबाजारी हो जाएगा। तो सब कालाबाजारी रोकने और ग्रामीणों को कम रेट में खनिज दिलाने के लिए रेत खदान का समर्थन करना जरूरी है। मैं पुनः आज के अमित इंटरप्राइजेस सबरी सैण्ड माईन का समर्थन करता हूँ।

13. श्री सालिक राम पटेल, ग्राम–झबडी ने कहा कि यहाँ स्कूल की परेशानी हैं तो यहाँ स्कूल भी खुलना चाहिए।

14. श्री अजय कुमार कौशिक, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि हमारे गाँव में रेत खदान नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ रेत खनन हुआ तो हमारे नदी तट के पास का जमीन को नुकसान होगा।

15. श्री रामखिलावन, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि रेत खनन होने से गाँव का कछार भूमि पूरा नदी में चले जाएगा और हमारे छोटे–छोटे बाड़ी हैं, हम उसी से जीवन यापन कर रहे हैं।

16. श्री वेंकटेश्वर कुमार कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि मेरा निवेदन है कि जो रेत खदान की स्वीकृति हमारे गाँव में दी गई हैं उसे तत्काल रोका जाए। नदी पर ही हम सब आश्रित हैं अगर यहाँ रेत खनन होगा तो हमारा गाँव पूरा डूब जाएगा। किसी को संदेह हैं तो जाकर वो नदी के किनारे को जाकर देख लें। ज्यादा नहीं कम से कम 100 मीटर का कटाव हुआ है, अभी बीते हुए वर्ष में इसलिए सभी अधिकारियों से निवेदन है कि उसकी जाँच करें। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आस–पास के सभी गाँव को मुआवजा मिल चुका हैं, नदी डुबान का, जिसके संबंध में मैं कलेक्टर जी और मंत्री जी को पत्र लिख चुका हूँ , पर अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुआ है। उसका प्रतिलिपि मेरे पास है। अभी प्रतिलिपि उपलब्ध हैं। हमारे गाँव में इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या पर ध्यान दें और हमारे गाँव का जो स्कूल है वह भी पूर्ण रूप से अभी तक नहीं बन पाया हैं। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें।

17. श्री रामचन्द वर्मा, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि हमारे गाँव में रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। हम सब छोटे – छोटे किसान हैं, अपने बच्चों का पालन – पोषण कैसे करेंगे।

18. श्री लाल जी कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि यहाँ रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ।

19. श्री सुरेन्द्र कुमार कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि यहाँ रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए।

20. श्री कन्हैया लाल कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि यहाँ रेत उत्खनन का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर विधायक थे, तब उन्होंने बेचिंग का निर्माण हो जाएगा कहा था, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है।

21. श्री ओमकार कौशिक, ग्राम– झबड़ी ने कहा कि यहाँ रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे गाँव के 99% किसान जो है वो कछार की जमीन पर निर्भर हैं। पहले जिन्होने बोला कि रेत खदान से गाँव को फायदा होगा, मैं उन्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब कछार की जमीन और बाड़ी पर निर्भर हैं, जब रेत खनन होगा तो बाढ़ आने से हमारा पूरा कछार की जमीन और बाड़ी पानी में बह जायेगा। यही निवेदन हैं कि रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए और रेत खनन के टेंडर पर तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झबड़ी गांव में अवैध रेत खनन को पहले भी रोका जा चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि रेत खनन से फायदा होगा, उन्हें मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्हें किस तरह का फायदा होगा? हमारे गांव के 95% किसान खेती

पर निर्भर हैं। अगर हमारी खेती बर्बाद हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम मिलकर अवैध रेत खनन को रोकें।

22. श्री कन्हैया, ग्राम–झबड़ी ने कहा कि मेरी जो बेटी है वह विकलांग है, कृपया इस बात में ध्यान दिया जाए।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा कहा गया कि इस जनसुनवाई में जो आम जनता के द्वारा अपना विचार व्यक्त किया गया है, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक क्या विचार रखते हैं, वो आकर अपना स्पष्टीकरण दें।

परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार यादव ने कहा कि, मेरे द्वारा आवेदित झबड़ी एवं बलौदा रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत् आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पो के संबंध में हमारी ओर से जवाब देने के लिए नेबेट से प्रमाणिक अल्ट्राटेक एन्वॉयरन्मेंट कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, ठाणे के पर्यावरणीय सलाहकार मंडल के सदस्य को आमंत्रित करता हूँ।

श्री बुद्ध देव पाण्डेय द्वारा बताया गया है कि आज दिनांक 27.11.2024 को हाई स्कूल मैदान, ग्राम–झबड़ी, तहसील–कसडोल एवं ग्राम–बलौदा, तहसील–टुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में, आवेदित झबड़ी एवं बलौदा रेत खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के तहत आयोजित लोक सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गए विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, को परियोजना प्रस्तावक अमित कुमार यादव की ओर से यह आश्वासन देना चाहते हैं कि, प्रस्तावित रेत खदान के संचालन के दौरान खनिज शाखा एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा । वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जावेगा तथा अन्य धूल उड़ने वाले बिंदुओं पर जल का छिड़काव करके धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जावेगा। समय समय पर सड़क का रख रखाव किया जावेगा। नदी तट की सुरक्षा के लिए नदी तट क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 3,000 नग पौधे, स्थानीय प्रजाति के पौधों का

रोपण तथा सुरक्षा के लिए चेनलिंक फेंसिंग के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइड लाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइड लाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार नियत प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए रेत का खनन नियमानुसार प्रस्तावित है। इसके साथ ही नदी तट की सुरक्षा के लिए शासकीय नियमों के तहत 80–125 मीटर की दूरी छोड़कर नदी के मध्य खनन किया जावेगा। जलीय जीवन और तटीय आवासों की सुरक्षा के लिए सक्रिय चैनल में खनन नहीं किया जाएगा और सक्रिय चैनल के साथ न्यूनतम 3 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि जलीय जीवन और नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा न आए। रेत का खनन नदी कछार क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है। ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं की मांग जैसे नदी तटबंध, एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगें कि खदान के संचालन के दौरान पट्टेदार द्वारा रायल्टी के साथ–साथ जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जावेगी, जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है। माननीय अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से हमारा अनुरोध है कि ग्रामवासियों के द्वारा की गयी मांगों को यथोचित संज्ञान में लेते हुए, सम्बंधित कार्यालय को सूचित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम–2019, सस्टेनेबल सेंड माइन गाइडलाइन 2016 एवं एनफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग 2020 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए रेत उत्खनन हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा सम्बंधित विभागों जैसे ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति /जॉच प्रतिवेदन मॅगाया जाता है। विभिन्न विभागों के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को जॉच लेने के पश्चात्, चिन्हांकित सीमांकित करते हुए घोषित किया जाता है । कार्यालय कलेक्टर जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.), द्वारा टेंडर/ऑक्शन जारी करते हुए विजेता को आशय पत्र जारी किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति एवं लीज पट्टा प्राप्त होने के पश्चात सीमांकित क्षेत्र में सीमाचिन्ह/पिलर लगाकर सीमांकित क्षेत्र के भीतर खनन किया जावेगा। हमारे प्रकरण में लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गये हैं उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब एवं जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी राज्य स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा। ग्रामवासियों के द्वारा दिए गए सुझाव एवं समर्थन का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।

अपर कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा ने कहा कि आज इस जन सुनवाई में जो भी कार्यवाही की गई वो सभी रिकॉडिंग कर ली गई है। आप सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार अपना अभिमत व्यक्त किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूॅ और आज की जन सुनवाई यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूॅ। लगभग 11:20 बजे लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई। लोक सुनवाई के संबंध में प्राप्त आवेदनों की संख्या 6 है। संपूर्ण लोकसुनवाई की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर (छ.ग.)	अपर कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)